2025/682

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण
आशादेवी वगैरह
निवासीगण–नालोट

किस्म प्रकरण : प्रा.पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.

मुकदमा नं. 391/2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
04.11.2025	प्रार्थी तहसीलदार कुचामनसिटी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। तहसीलदार कुचामनसिटी ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट भू.अ. क्षेत्र नगवाड़ा तहसील कुचामनसिटी की नकल जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 वर्ष 2018 से स्थायी खाता संख्या 50/45 खसरा नम्बर 1063/689 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नं. 1066/686 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 नजरी नक्शानुसार रास्ता मौके पर प्रचलित है तथा वर्तमान में उक्त रास्ता बिना किसी अवरोध चालू है। उक्त खसरान की भूमी में से प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश प्रदान करावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संबंधित खातेदार काश्तकार ने उक्त प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने हेतु प्रार्थी ने अभिशंषा व्यक्त की है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की किस्म बारानी प्रथम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त प्रस्ताव से प्रस्तावित रास्ते के वर्तमान में प्रचलन में होने की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त राजस्व ग्राम नालोट पटवार हल्का नालोट भू.अ. क्षेत्र नगवाड़ा तहसील कुचामनसिटी की नकल जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 वर्ष 2018 से स्थायी खाता संख्या 50/45 खसरा नम्बर 1063/689 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नं. 1066/686 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 भूमि का प्रस्ताव/तकमीना अनुसार प्रार्थना पत्र अधीन अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	